:: न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सीमलवाड़ा जिला–डूँगरपुर राजस्थान ::

पीठासीन अधिकारीः– विवेक गुर्जर, RAS

प्रकरण सख्याः–12/2023 दायर दिनांकः–31.03.2023

1. श्री सेंगा पिता भीखा रोत निवासी पगारा तहसील झौंथरीपाल जिला जिला डूंगरपुर राजस्थान।

––प्रार्थी

बनाम

1. श्री राजेन्द्र कुमार पिता रतनलाल रोत
2. श्री कन्हैयालाल पिता हकरा रोत निवासी पगारा तहसील झौंथरीपाल जिला डूंगरपुर राजस्थान।
3. भूमिधारी तहसीलदार झौंथरीपाल जिला डूंगरपुर राजस्थान।

––अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू–राजस्व अधिनियम
सपठित धारा 151 जा.दी.

उपस्थितः–
1. अधिवक्ता श्री गौतमलाल रोत प्रार्थी की ओर से।
2. अधिवक्ता रीना डोडियार, अप्रार्थी 01 व 02 की ओर से।
3. पेरोकार सरकार, तहसीलदार झौंथरीपाल की ओर से।

:: निर्णय :: दिनांक 13/10/2025

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वादी व प्रतिवादीगण गांव पगारा तहसील झीथरीपाल के स्थायी निवासी है। वादी खेतीबाडी कर अपना व अपने परिवार का जीवन यापन कर रहा है। वादी व अन्य सहखातेदार के कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी मौजा पगारा में खाता संख्या 207, खसरा नम्बर 1047 से 1049, 1058 से 1062, 1086, 1087, 1089, से 1092 1099 से 1102, 1105, 1106, 1170, 1332/1107, 978 990 से 992 कुल खेत किता 20 कुल रकबा 8.2345 हैक्टेयर पर 1/2 हिस्से पर पारिवारिक बंटवारे अनुसार ही काबिज होकर कास्त करते आ रहे है। वाद कारण आज से 15 दिन पूर्व वादी अपने कब्जे काश्त की मौजा पगारा की खातेदारी बाराजी संख्या 1332/1107 खेत किता 1. कुल रकबा 1.8202 हैक्टेयर में पारिवारिक बंटवारे अनुसार सारसंभाल का कार्य कर रहे थे। उसी समय प्रतिवादीगण मौके पर आकर भूमि को अपनी बताकर सीमा विवाद करने लगे। जिस पर वादी ने कहा कि वह वादग्रस्त आराजी में वादी राजस्व रिकॉर्ड अनुसार अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर रहा है ऐसे में तुम्हे कोई शंगढ़ा करने का हक अधिकार नहीं है। वादी ने राजस्व रिकॉर्ड की जमाबंदी व नक्शा दिखाकर समझाने की काफी कोशिश की लेकिन समझने को तैयार ही नहीं हुए। तथा जबरन प्रतिवादी वादग्रस्त आराजी को अपनी बना लेने विवाद

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

करने लगे। जिस पर दिनांक 13.02.2023 को मौका पर्चा बनाया गया है। उसके बावजुदे निशानदेही होने के बादजूद प्रतिवादीगण सीमा विवाद कर रहे है। प्रतिवादीगण वादीगण की खातेदारी आराजी को अपनी बता रहे है जिससे विवाद बढ़ रहा है ऐसे में वादी की खातेदारी आराजी की पत्थर गढ़ी को सीमाकीत किया जाना आवश्यक है। वादी वादग्रस्त आराजी में राजस्व रिकॉर्ड अनुसार कब्जा होकर काश्त करते आ रहे है। बादी ने राजस्व रिकॉर्ड की जमाबंदी व नक्शा दिखाकर समझाने की काफी कोशिश की लेकिन समझने को तैयार ही नहीं हुए। वादी की आराजी में सीमा विवाद करने लगे। वादी के कब्जे कारत की आराजी होने से प्रतिवादीगण को जबरन झगड़ा फसाद कर परेशान करते है। वादग्रस्त भूमि पर अतिक्रमण करने वादी से झगड़ा फंसाद व जान से मारने की धमकियां देते है। जबकि बादी का वादग्रस्त आराजी पर जन्म से अधिकार निहित है। जिससे लगातार विवाद बढ़ने से वाद कारण लगातार उत्पन्न होने लगा। चांदी के कब्जे काशा की आराजी में सीमा में पूर्व में की गई पत्थरों की निशानदेही को खुर्द बुर्द कर दिया। वादीगण को बेदखल करने की नियत से वादग्रस्त आराजी में घुस गये। जबकि वादी के कमाई का एकमात्र जरीया कृषि है ऐसे में वादग्रस्त आराजी से बेदखल करने पर वंचित हो जाएगा। तथा वादी का परिवार मुखा मर जाएगा। वादी को मारी आर्थिक क्षति होगी जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। प्रतिवादीगण को जरीये स्थायी निषेधाज्ञा इस बात के लिये पाबन्द किये जाने आवश्यक हैकि दे वादीगण के कब्जे काश्त की भौजा पगारा की खातेदारी आराजी संख्या 1332/1107 खेत किता 1. कुल रकबा 1.8202 हैक्टेयर होकर स्थित है। ऐसे में प्रतिवादीगण वादी की आराजी में किसी प्रकार का विवाद करने पर पाबंद करे की बादी को काशा में रूकावट उत्पन्न नहीं करे। वादी की मौजा पगारा की खातेदारी आाराजी संख्या 1332/1107 खेत किता 1. कुल रकबा 1.8202 हैक्टेयर वादग्रस्त आराजी पत्थर गढी कराने आदेश फरमाये।

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को तलब किया गया। विपक्षीगण संख्या 01 व 02 की ओर से अधिवक्ता रीना डोडियार ने वकालतनामा प्रस्तुत किया । अधिवक्ता विपक्षीगण ने पत्थरगढ़ी की कार्यवाही हेतु सहमति जाहिर की। विपक्षी तहसीलदार झौंथरीपाल की ओर से जवाब प्रार्थना–पत्र पेश किया गया। तहसीलदार झौंथरीपाल द्वारा अपने जवाब में, तहसीलदार झौंथरीपाल के आदेश कमांक राजस्व/जनसुनवाई/2023/222–225 दिनांक 28.06.2023 द्वारा वादग्रस्त आराजी की सीमांकन की कार्यवाही की जाना बताया है। शेष तथ्यों को प्रार्थी द्वारा स्वयं के स्तर से सिद्ध कराना बताया है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र व दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। तहसीलदार सीमलवाड़ा द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थीगण, उक्त खातेदारी भूमि की पत्थर गढी, पत्थर लगा कर,

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा